इनशियिल पब्लकि ऑफर

हाल ही में सरकार के स्वामत्वि वाले **भारतीय जीवन बीमा नगिम (LIC)** ने भारतीय प्रतभिूति और वनिमिय बोर्ड (SEBI) के पास अपनी मेगा इनशियिल पब्लकि ऑफरगि (आईपीओ) के लयि **ड्राफ्ट रेड हेरगि प्रॉस्पेक्टस (DRHP)** दाखलि कयि।

- सरकार, जसिके पास **LIC की 100% हस्सिेदारी** है, आईपीओ के माध्यम से अपनी 5% हस्सिेदारी बेचेगी। IPO से होने वाली सभी आय, जो बक्रिी के लयि एक प्रस्ताव के रूप में है और कम-से-कम 60,000 करोड़ रुपए तक होने की उम्मीद है, से वत्ति वर्ष 2022 के लयि सरकार केवनिविश लक्ष्य को पूरा करने में मदद मलिेगी।
- LIC पूरी तरह से सरकार के स्वामत्वि में है। इसकी स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी। भारत के बीमा कारोबार में इसकी सबसे बड़ी हस्सिेदारी है।

इनशियिल पब्लकि ऑफर (IPO):

- IPO एक ऐसी प्रक्रयिा है जसिके **तहत कोई नजिी या सरकार के स्वामत्वि वाली कंपनी** जैसे कि LIC पूंजी जुटाने के लयि पहली बार सार्वजनकि तौर पर अपने शेयरों की बक्रिी करती है।
  - IPO के बाद वह पब्लकि लस्टिेड कंपनी बन जाती है। **स्टॉक एक्सचेंज शेयर**, स्टॉक और बॉण्ड जैसी प्रतभिूतियों की बक्रिी एवं खरीद के लयि एक संगठति बाज़ार है।
  - एक सूचीबद्ध कंपनी एक **अनुवर्ती सार्वजनकि पेशकश (Follow-on Public Offering) या FPO** के माध्यम से भवषि्य में वृद्धि और वस्तिार के लयि शेयर पूंजी जुटा सकती है।
- IPO जारी करने के दौरान कंपनी को बाज़ार नयिामक **भारतीय प्रतभिूति और वनिमिय बोर्ड (सेबी)** के पास अपना प्रस्ताव दस्तावेज़ दाखलि करना होता है।
  - ऑफर दस्तावेज़ में कंपनी, उसके प्रमोटर, उसकी परयिोजनाओं, वत्तिीय ववरिण, धन जुटाने का उद्देश्य, जारी करने की शर्तें आदि के बारे में सभी प्रासंगकि जानकारी शामलि होती है।
  - **SEBI** वर्ष 1992 में भारतीय प्रतभिूति और वनिमिय बोर्ड अधनियिम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार स्थापति एक वैधानकि नकिाय है।

बक्रिी हेतु प्रस्ताव:

- बक्रिी हेतु प्रस्ताव पद्धति के तहत प्रतभिूतियों को सीधे जनता को जारी नहीं कयि जाता है, बल्कि बचिौलियों जैसे- हाउसगि या स्टॉक ब्रोकरों के माध्यम से जारी कयि जाता है।
- इस संदर्भ में एक कंपनी दलालों को एक सहमत मूल्य पर प्रतभिूतियों को बेचती है, जो बदले में नविश हेतु उनको पुनः जनता को बेचते हैं।

रेड हेरगि प्रॉस्पेक्टस का ड्राफ्ट:

- ड्राफ्ट रेड हेरगि प्रॉस्पेक्टस (DRHP) एक कानूनी प्रारंभकि दस्तावेज़ है। यह आईपीओ-बाध्य कंपनी और उसके नविशकों तथा हतिधारकों के बीच एक महत्त्वपूर्ण संचार लकि के रूप में कार्य करता है।

IPO में नविश की अनुमति:

- क्वालफिाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) नविशकों की एक श्रेणी है जसिमें वदिेशी पोर्टफोलयिो नविशक (FPIs), म्यूचुअल फंड, वाणज्यिकि बैंक, बीमा कंपनयिाँ, पेंशन फंड आदि शामलि हैं।
  - QIBs वे संस्थागत नविशक हैं जन्हिें आमतौर पर पूंजी बाज़ार में मूल्यांकन और नविश हेतु वशिेषज्ञता व वत्तिीय क्षमता युक्त माना जाता है।
- वे व्यक्ति जो कसिी इश्यू में **2 लाख रुपए तक नविश** करते हैं, उन्हें खुदरा नविशक के रूप में वर्गीकृत कयि जाता है।
- 2 लाख रुपए से अधकि का नविश करने वाले खुदरा नविशकों को उच्च नविल मूल्य वाले व्यक्तियों के रूप में वर्गीकृत कयि जाता है।

कंपनयिाँ जो आईपीओ जारी कर सकती हैं:

- निवेशकों की सुरक्षा के लिये **सेबी ने ऐसे नियम निर्धारित** किये हैं जिनके लिये कंपनियों को धन जुटाने हेतु जनता के पास जाने से पहले कुछ मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता होती है।
- अन्य शर्तों के अलावा कंपनी के पास पिछले पूर्ण तीन वर्षों में से प्रत्येक में कम-से-कम 3 करोड़ रुपए की शुद्ध संपत्ति और 1 करोड़ रुपए की शुद्ध संपत्ति होनी चाहिये तथा तत्काल पूर्ववर्ती पाँच वर्षों में से कम-से-कम तीन में इसका न्यूनतम औसत कर-पूर्व लाभ 15 करोड़ रुपए होना चाहिये।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/initial-public-offering